न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः— अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 91/2021

जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2021/242

वादीगण बनाम प्रतिवादीगण

वादीगण	प्रतिवादीगण
1.उमेदा पुत्र अखाराम 2.देवला पुत्र अखाराम जाति मेघवाल निवासी देरिया तहसील पचपदरा	1.कुम्भाराम पुत्र बुधाराम 2.ईसरराम पुत्र बुधाराम 3.नरसिंगारांम पुत्र ईसरराम 4.भूराराम पुत्र कुम्भाराम 5.भगाराम पुत्र कुम्भाराम 6.सोनाराम पुत्र उमाराम 7.मांगीलाल पुत्र रूकड़राम जाति मेंघवाल निवासी देरिया तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 8.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति—

1.श्री सुरेश नारायण खारवाल अधिवक्ता वादीगण

2.प्रतिवादी एकतरफा।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

निर्णय

दिनांक— 19/03/2025

1.संक्षिप्त में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि वादीगण की खातेदारी भूमि ग्राम देवरिया तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 122 व 65 कुल क्षेत्रफल 7.0496 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। वादीगण का अपनी खातेदारी भूमि में कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण की खातेदारी खसरा संख्या 122 आबादी से लगता हुआ है। प्रतिवादी पक्ष का वादग्रस्त भूमि में कोई सरोंकार नहीं है,फिर भी वादीगण की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी की करने की कोशिश की जाती रहती है और आये दिन वादीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माठे को तोड़ने को प्रयासरत है,जबकि प्रतिवादी पक्ष को ऐसा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इस प्रकार वादीगण की ओर से वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी पक्ष द्वारा किसी प्रकार की दखलदान्जी नहीं करने और न ही अन्य किसी से करावें,उक्त भूमि में प्रवेश करने की चेष्टा नहीं करे, और न किसी प्रकार की बाधा अवरोध ही करें, इस आशंय की स्थाई निषेघाज्ञा प्रतिवादी के विरूद्व जारी करवानें हेतु यह वाद पेश किया गया है।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

2.वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के सम्मन तामील शुदा प्राप्त हुई। प्रतिवादी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात अधिवक्ता श्री नारायणसिंह भाटी द्वारा प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 07 सी.पी.सी. के तहत पेश की गई,जो बाद सुनवाई प्रतिवादी की प्रार्थना पत्र में कोई सारभूत तथ्य निहित नहीं होने के कारण खारिज की गई।

3.प्रतिवादीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही पारित होने के कारण तनकीयात कायम की आवश्यकता नहीं रही। वादीगण के वाद पत्र का वांछित अनुतोष ही तनकीयात मानी गई। वादी गवाहान में पी.डब्ल्यू-1 उमेदाराम व पी.डब्ल्यू-2 मनोहरसिंह के बयानात कलमबद्व किए गए। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श-1 वादग्रस्त भूमि जमाबंदी,प्रदर्श-2 इसी ग्राम की नक्शा ट्रेस प्रति प्रदर्शित करवाई गई।

4.वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता ने वाद के तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि वादीगण की खातेदारी भूमि ग्राम देवरिया तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 122 व 65 कुल क्षेत्रफल 7.0496 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। वादीगण का अपनी खातेदारी भूमि में कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण अपनी खातेदारी भूमि में रहवासीया ढाणीया,पानी के टांके,पशुओं के लिए बाड़े इत्यादि बने हुए है। वादीगण की खातेदारी खसरा संख्या 122 आबादी से लगता हुआ है, वादीगण की खातेदारी भूमि में प्रतिवादी पक्ष का कोई सरोकार नहीं है,लेकिन प्रतिवादी पक्ष झगड़ालू प्रवृति के व्यक्ति है,जो वादीगण की भूमि को हड़प करने की नियत रखतें है और आये दिन वादीगण की खातेदारी कब्जाशुदा भूमि में दखलदान्जी करने की कोशिश करते रहते है,ओर वादीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी कायम माठे को तोड़ने का प्रयासरत है,और आये दिन वादीगण को धमकिया दी जा रही है कि वादीगण की कब्जाशुदा भूमि में अवैध कब्जा कर लिया जावेगा,जबकि वादीगण की खातेदारी भूमि में प्रतिवादी पक्ष का कोंई हक हकूक निहित नहीं है। इसके उपरांत भी ताकत के बल पर वादीगण की भूमि को हड़प करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि प्रतिवादी पक्ष ऐसा करने में सफ़ल हो गया तो वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी। अपनी बहस को जारी रखतें हुए आगे ओर निवेदन किया कि वादी पक्ष की ओर से बयानात से भी साबित है कि प्रतिवादी पक्ष वादीगण की खातेदारी भूमि में हस्तक्षेप कर रहें है। ऐसी सूरत में प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जानी अति आवश्यक है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आंशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे,कि वें वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार की दंखलदान्जी नहीं करने और न ही अन्य किसी से करावें,उक्त भूमि में प्रवेश करने की चेष्टा नहीं करे, और न किसी प्रकार का निर्माण ही करें।

5.हमनें वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी और बहंस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात एंव बयानात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। विधि के परिप्रेक्ष्य में

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम देवरिया तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 122 व 65 कुल क्षेत्रफल 7.0496 हैक्टयर भूमि वादीगण की संयुक्त खातेदारी में इन्द्राज है,जो वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी प्रदर्श–01 अवलोकन से स्पष्ट है। वादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार है और अपनी खातेदारी भूमि की सीमाओं में प्रतिवादी पक्ष किसी प्रकार की दखलदान्जी नहीं करे,इस कारण वाद लाया गया है,जो कि वादीगण अपनी खातेदारी भूमि की सीमाओं को सुरक्षित रखने के हकदार है,क्योंकि वादीगण की खातेदारी भूमि में प्रतिवादी पक्ष का कोई हक हकूक नहीं बनता है। प्रतिवादी पक्ष द्वारा वादीगण की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलदान्जी करने की कोशिश की जाती है,तो वादीगण को नुकसान होनी की प्रबल संभावना है। ऐसी सूरत में वादीगण प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवानें का हकदार है। वादी पक्ष की ओर से बयानात से भी प्रमाणित है कि प्रतिवादी पक्ष वादीगण की खातेदारी भूमि में अवैधा कब्जा करने की कोशिश करते रहते है,जो कि एक प्रकार से गैर कानूनी है और प्रतिवादी पक्ष को ऐसा कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी पक्ष को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी अपनी ओर से कोई पक्ष नहीं रखा गया। उपरोक्त विवेचन उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

6.लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के विरूद्ध इस आंशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है,कि ग्राम देवरिया तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 122 क्षेत्रफल 1.1412 हैक्टयर भूमि में प्रतिवादी किसी प्रकार की दंखलदान्जी नहीं करे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हों।

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 19/3/2025 को लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा 19/03/2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 91/2021

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2021/242

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1.उमेदा पुत्र अखाराम 2.देवला पुत्र अखाराम जाति मेघवाल निवासी देरिया तहसील पचपदरा		1.कुम्भाराम पुत्र बुधाराम 2.ईसरराम पुत्र बुधाराम 3.नरसिंगाराम पुत्र ईसरराम 4.भूराराम पुत्र कुम्भाराम 5.भगाराम पुत्र कुम्भाराम 6.सोनाराम पुत्र उमाराम 7.मांगीलाल पुत्र रूकड़राम जाति मेघवाल निवासी देरिया तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 8.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नम्बर 91/2021

निर्णय दिनांक :–19.3.2025

वादीगण की ओर से श्री सुरेश नारायण खारवाल अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी एकतरफा इस वाद में आज तारीख 19.3.2025 को श्री अशोककुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है** कि:–वादीगण वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के विरूद्ध इस आंशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है,कि ग्राम देवरिया तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील कल्याणपुर

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

की खेत खसरा संख्या 122 क्षेत्रफल 1.1412 हैक्टयर भूमि में प्रतिवादी किसी प्रकार की दखलदान्जी नहीं करे।

यह आज तारीख 19.03.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4...........रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामिल	रूपया ——	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2.अर्जी के लिए स्टाम्प 3.प्लीडर की फीस 4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 5.आदेशिका की तामील 6.कमिश्नर की फीस	रूपया ———
जोड़	——	जोड़	———

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा